

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सिविल सर्जन,  
पटना/वैशाली/दरभंगा/मोतिहारी ।

पटना, दिनांक:- 27-3-18


विषय:-मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-200-अन्य पद्धतियाँ-0001-अन्य पद्धतियाँ विपत्र कोड 20-2210062000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में (28-02) संविदा सेवाएँ मद में कुल ₹4,80,000/- ( चार लाख अस्सी हजार ) रुपये मात्र का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-1581(10) दिनांक-23.03.2018 के प्रसंग में विषयांकित शीर्ष/ उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार ) रुपये मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014, 687/वि० दिनांक-24.7.2014 एवं 6720 वि० (2) दिनांक 25.7.2014 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।
3. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तारित करने एवं मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-उप मुख्य शीर्ष-06-लोक स्वास्थ्य-लघु शीर्ष-200- अन्य पद्धतियाँ-उपशीर्ष-0001-अन्य पद्धतियाँ-विपत्र कोड-20-2210062000001-विषय शीर्ष-(28-02)- संविदा सेवाएँ अंतर्गत उपबंधित राशि से निकासी की जाएगी ।
4. संबंधित जिले के सिविल सर्जन इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।
5. विभागीय राज्यादेश सं०-1581(10) दिनांक-23.03.2018 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में निहित निदेश एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
6. संबंधित सिविल सर्जन राशि की निकासी कर चयनित कैम्प के लिए राशि उपलब्ध करायेंगे एवं राशि का व्यय विवरणी उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम नियंत्री पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करा महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
7. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

  
27/3/18

( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव





ज्ञापांक : 166(7)A

पटना, दिनांक : 27-3-18

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना /वित्त विभाग/संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रिय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित सभी कोषागार/ संबंधित सभी उप कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित सभी जिला स्वास्थ्य समिति/कार्यपालक निदेशक,/सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के सचिव/निदेशक प्रमुख के सचिव/ अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 7/10 एवं कार्यवाह सहायक, प्रशाखा-7/10 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
27/3/18


सरकार के विशेष सचिव  


विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के निमित्त राज्य के 4 जिलों के बीच राशि का आवंटन :-

क्रम	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	1,20,000 /-
2	वैशाली	1,20,000 /-
3	दरभंगा	1,20,000 /-
4	मोतिहारी	1,20,000 /-
	कुल योग:-	4,80,000 /-

( चार लाख अस्सी हजार )रु. मात्र


  
27/3/18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई	कुल उपबंधित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	28-02 संविदा सेवाएँ	15,00,000 /-	4,80,000 /-	10,20,000 /-

( चार लाख अस्सी हजार )रु. मात्र

  
27/3/18

सरकार के विशेष सचिव

